

## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

### प्रेस नोट

- उदयपुर में नगर पालिका, कानोड़ का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष पति 30 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 15 दिसम्बर गुरुवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अजमेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये श्रीमति चंदा मीणा, अध्यक्ष नगर पालिका कानोड़, जिला उदयपुर व नरेन्द्र सिंह बाबेल, उपाध्यक्ष, नगर पालिका, कानोड़, जिला उदयपुर एवं सत्यनारायण मीणा पति श्रीमति चंदा मीणा, (अध्यक्ष न.पा. कानोड़) को परिवादी से 30 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा नगर पालिका मण्डल कानोड़ में सप्लाई की गये सामग्री के बिल पास करने की एवज में श्रीमति चंदा मीणा, अध्यक्ष नगर पालिका कानोड़, जिला उदयपुर एवं सत्यनारायण मीणा पति श्रीमति चंदा मीणा, (अध्यक्ष न.पा. कानोड़) द्वारा 30 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, अजमेर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह के सुपरवीजन में एसीबी की अजमेर इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री राकेश कुमार वर्मा के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज श्री नरेश चौहान पुलिस निरीक्षक व श्रीमति मीरा बेनीवाल पुलिस निरीक्षक मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये श्रीमति चंदा मीणा, अध्यक्ष नगर पालिका कानोड़, जिला उदयपुर एवं सत्यनारायण मीणा पति श्रीमति चंदा मीणा, (अध्यक्ष न.पा. कानोड़) परिवादी से 30 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। नरेन्द्र सिंह बाबेल, उपाध्यक्ष, नगर पालिका, कानोड़, जिला उदयपुर ने परिवादी द्वारा नगर पालिका कानोड़ में पूर्व में किये सैल्फी पॉइन्ट व ओपन जिम के कार्य के बिल पास करने की एवज में अपने कमीशन के रूप में 40 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई थी।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं **Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834** पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।